राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 1870 /जी.एस.
दिनांकः 9 /10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांकः १३७०–७१ / सम्बद्धता / २००६ दिनांक १५–०७–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ की धारा–३७(२) के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अँग्रेजी, अर्थशास्त्र,प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः–

१– महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग व्दारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि महाविद्यालय व्दारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय व्दारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१६७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत् महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक,उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– अध्यक्ष / प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय,जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।

विजय कुमार सिंह
(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव